



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या—1696—अ०प्र०—०७/पाकालि/१७—०५—अ०प्र०—०७/१५

दिनांक २४ /०६/२०१७

कार्यालय ज्ञाप

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत तथा पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा घोषित कम्बाइन्ड सीनियारिटी के आधार पर 40% प्रोन्ति कोटे के अन्तर्गत अधोनामित अवर अभियन्ता (ई० एण्ड एम०) को उनके वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर, उनके नाम के समुख अंकित इकाई पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी/स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (ई० एण्ड एम०) के पद पर, दिनांक 20.12.2016 को सम्पन्न हुई विभागीय चयन समिति की बैठक में मोहरबन्द किये गये प्रकरण में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिंग, मेरठ के पत्रांक-1229/पविविनिलि/म०/हा०/ई-३/मु०बाद/जय प्रकाश, दिनांक 07.04.2017 द्वारा श्री जय प्रकाश (वरिंक्र०-८८६३), अवर अभियन्ता के विरुद्ध प्रचलित प्रकरण में निन्दा प्रविष्टि प्रदान करते हुए प्रकरण को निस्तारित किए जाने के दृष्टिगत उनसे आसन्न कनिष्ठ की प्रोन्ति की तिथि 21.12.2016 अर्थात् कारपोरेशन के पूर्व-निर्गत प्रोन्ति आदेश सं०-4262—अ०प्र०—०७/पाकालि/१६—०५—अ०प्र०—०७/१५, दिनांक 21.12.2016 की तिथि से ही इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्ति किया जाता है कि वे पूर्व परिषदादेश सं०-485—ए—आर/राविपि-०१-२८-एआर/८९, दिनांक 27.03.89 के सन्दर्भ में मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से भाग लेंगे।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे :—

क्र० सं०	नाम/पिता का नाम द्रेड/जन्मतिथि/गृह जनपद/वर्ग/वरिंक्र०	वर्तमान तैनाती स्थान	प्रोन्ति पश्चात् तैनाती हेतु आवंटित डिस्कॉम/इकाई	आवंटित अभिज्ञान सं०
१	श्री जय प्रकाश/प्यारे लाल वि०/०६.०२.१९६८/बुलन्दशहर/अनु०जा०/८८६३	वि०वि०मं०, अमरोहा	पश्चिमांचल	2017001

अवर अभियन्ता द्वारा सहायक अभियन्ता पद पर कार्यभार प्रमाण पत्र भरने से पूर्व उनके नियंत्रक अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि :-

- (क) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयत्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो।
- (ख) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही सम्बन्धी प्रकरण न चल रहा हो।
- (ग) उपर्युक्त सूची में नामित अवर अभियन्ता के विरुद्ध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति है तो प्रोन्ति अवर अभियन्ता को कार्यमुक्त करने से पूर्व विविध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति की नियमानुसार कटौती प्रारम्भ कर दी गई है एवं उसका अंकन उसकी सेवा पुस्तिका में कर दिया गया है।
- (घ) समस्त चयनित अवर अभियन्ता प्रोन्ति आदेश निर्गत होने से एक माह के भीतर अपने नव तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। प्रोन्ति आदेश निर्गत होने से विलम्बतः एक माह के भीतर, कार्यभार ग्रहण न करने वाले अवर अभियन्ता के विषय में यह मानते हुए कि वह प्रोन्ति लेने में इच्छुक नहीं हैं, कारपोरेशन स्तर से अग्रेतर कार्यवाही कर दी जायेगी।

- 2 सक्षम अधिकारी का यह दायित्व होगा वे उपर्युक्त आवंटित अधिकारी की तैनाती उ0प्र0 पा0का0लि0 में वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करना। सुनिश्चित करेंगे तत्पश्चात एक माह में कार्यभार ग्रहण कराना भी सुनिश्चित करेंगे।
- 3 उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका सं0-79/1997 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
- 4 आवंटित अधिकारियों की तैनाती, शासन की द्विसदस्यीय समिति से वांछित अनुमोदन प्राप्त कर, कारपोरेशन की प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करने का दायित्व सम्बन्धित निगम का होगा।
- 5 उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त करा दिया जाए।
- 6 सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक उपर्युक्त प्रोन्नत/अवांटित अधिकारी की तैनाती का जोन वर्तमान में कार्यरत जोन से भिन्न करना सुनिश्चित करेंगे। यदि अत्यन्त अपरिहार्य कारणों से शिथिलता बरतनी है तो सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक को सकारण प्रस्ताव बनाकर कारपोरेशन से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 7 नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं0-5910-गोपन/पाकालि(06)/2001, दिनांक 11.06.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करता है।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या :-1696-आ0प्र0-07/पाकालि/2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) / निदेशक (वितरण) / निदेशक(वित्त) / निदेशक (कारपोरेट प्लानिंग), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ।
5. मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पा0का0लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्त अधिकारी का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करें।
6. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को पत्रांक 737-अनु0-01 / सहा0अभि0 / पदो0/2016-17, दिनांक 17.12.16 के सन्दर्भ में।
7. अधीक्षण अभियन्ता(हा0), कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल वि0वि0नि0लि0, विक्टोरिया पार्क, मेरठ को पत्रांक-1590 / पविविनिल?लि, दिनांक 04.05.2017 के सन्दर्भ में।
8. उप सचिव (आ0प्र0-03/04) उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता (Website) उ0प्र0 पाकालि शक्ति भवन, लखनऊ।
10. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. अनुभाग अधिकारी, (आ0प्र0-03/04) / गोपन अनुभाग, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. संबंधित अधिकारी।
13. गार्ड फाइल / कट फाइल।

आज्ञा से,

Indcon

(इन्ड्रमणि)

उप सचिव